

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री करण शर्मा पिता भवानीशंकर शर्मा निवासी गांव बुझड़ा पोस्ट कुंदवा तहसील
देवगढ़ जिला राजसमन्द

— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़

— प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 67/2025

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 08.09.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से जरिये पत्र क्रमांक :- सूकाअ/244385746044471/2025/68 दिनांक 14.08.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक श्री करण शर्मा पिता भवानीशंकर शर्मा निवासी गांव बुझड़ा पो0 कुंदवा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के प्राप्त आवेदन पर आवेदक को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सूकाअ/244385746044471/2025/55 दिनांक 21.07.2025 द्वारा सूचना उपलब्ध करा दी गई।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 1 से 3 की सूचना के संबंध में उपलब्ध विवरण अपूर्ण होने तथा संधारण की श्रेणी में आने से तथा प्रकरण संख्या, आदेश संख्या, दिनांक अंकित नहीं होने से सूचना तक पहुंच बनाया जाना संभव नहीं है। उक्त संबंध में लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पत्र क्रमांक सूकाअ/244385746044471/2025/55 दिनांक 21.07.2025 से अपीलार्थी को सूचित किया गया।</p> <p>अतः लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक सूकाअ/244385746044471/2025/55 दिनांक 21.07.2025 से अपीलार्थी को सूचित कर दिये जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है। तथा अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना के संबंध में विशिष्टिया अंकित करते हुए नियमानुसार आवेदन कर वांछित सूचना प्राप्त करे।</p> <p>निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ को भिजवायी जावे।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।</p>	



Devi
लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद